

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Baba Baldev Singh Sher Bahadur Singh Private ITI,
Ramdaspur Majhauri Bikapur Ayodhya, FAIZABAD
Uttar Pradesh (PR09901320)

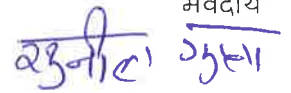
विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रावी चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Rajpati Smarak Private ITI,
Anjana Pura, Ayodhya, FAIZABAD
Uttar Pradesh (PR09901350)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

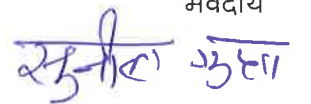
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



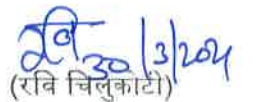
(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Motilal Devi Prasad Private ITI,
Katauna, Khapradeeh, Ayodhya, Allahabad
Uttar Pradesh (PR09901317)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।
प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Rammurti Mishra Smarak Private ITI,
Babura Mahuliya Akbarpur, Ambedkar Nagar,
Uttar Pradesh (PR09901293)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

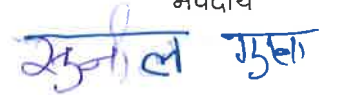
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
SVM Private ITI,
Alapur, Ambedkar Nagar
Uttar Pradesh (PR09901345)

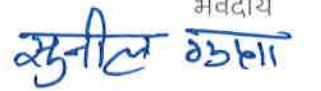
विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

रूवि 30/3/2021
(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Maa Vindhyaasini Private ITI,
Village Amnaway Martinganj Tehsil Phoolpur,
Azamgarh, Uttar Pradesh (PR09001988)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

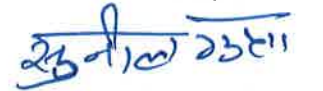
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Shri sheshnath singh Private ITI,
Village- Basirpur Post Muhamdalla, Tehsil Sadar
Dist., AZAMGARH, Uttar Pradesh (PR09901359)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।**प्रति:-**

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Shri Kamalnath Singh Private ITI,
Vill and Post Barohifatehpur, Teh-Sagri, Dist. Azamgarh
Uttar Pradesh (PR09901243)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

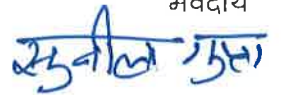
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
PT. Ram murat Ram Surat Mishra Private ITI,
Vill Ranipur rajmo post Bindrabazar Dist Azamgarh
Uttar Pradesh (PR09901280)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

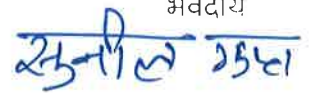
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



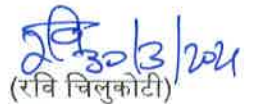
(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Maa narama Private ITI,
Vill- Hafijpur Tehsil sadar, dist Azamgarh
Uttar Pradesh (PR09901355)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

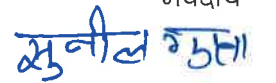
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



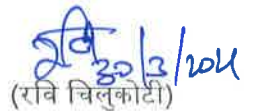
(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Baba Baijnath Ji Private ITI,
Godhpur Kishundaspur, tehsil Sadar, Dist Azamgarh,
Uttar Pradesh (PR09901356)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि विक्रम)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Dr. R.N. Private ITI,
Rawan Teela G.T. Road, Aligarh
Uttar Pradesh (PR09901357)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Shri Durga Ji Private ITI,
Village Sehda, Post mahrajpur, Tehsil Sadar,
Dist. - AZAMGARH, Uttar Pradesh (PR09901358)

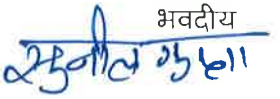
विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चिलुबाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Maa Vaishno Private ITI,
Mahawatgarh, Azamgarh,
Uttar Pradesh (PR09901247)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

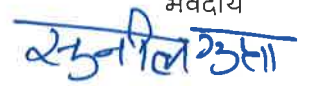
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Shri Chandrashekhar Private ITI,
Vill Post Araj Dewara Nainijor Post Baswariya Rau
Dist.- AZAMGARH, Uttar Pradesh (PR09901281)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

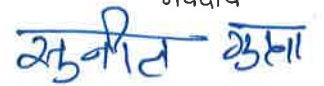
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Ramesh Krishak Private ITI,
Surai Sathiyano Tehsil Sadar Dist Azamgarh
Uttar Pradesh (PR09901248)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रावें चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Ram Nath Dhananjay Private ITI,
Vill-Jagdishpur, Post-Dewarapatti, Dsitt-Azamgarh
Uttar Pradesh (PR09000874)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

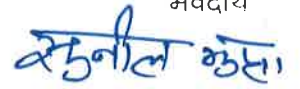
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



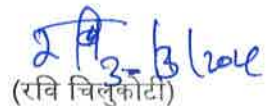
(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Shri Awadh Private ITI,
Village Kabutara Post Maholi, Tehsil- Mehnagar
Dist., Azamgarh, Uttar Pradesh (PR09901310)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

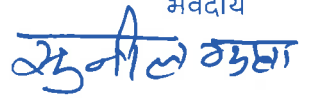
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Yogendra Private ITI,
Vill-Kamhariya, Kharihani, Dist Azamgarh,
Uttar Pradesh (PR09901246)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

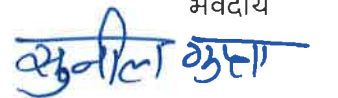
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Pratap Singh Private ITI,
Village Shambhupur Post Ghazi Tehsil Burahanpur,
Dist, Azamgarh, Uttar Pradesh (PR09901275)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

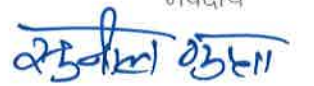
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



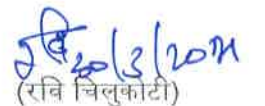
(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Shree Satiram Private ITI,
Vill Pradhanpur Post Halimabad, Dist. Azamgarh
Uttar Pradesh (PR09002085)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

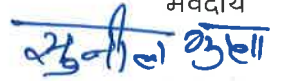
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
RS Private ITI,
Vill & post-Gangaupur, Mau
Uttar Pradesh (PR09002027)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Sudama Chauhan Private ITI,
Ganguabari, Po-Hamidpur, Thana-ghosi, Tehsil-Sadar,
Pin code-275302, Mau Uttar Pradesh (PR09900599)

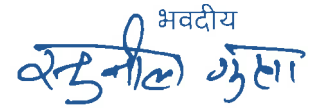
विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Mathura Private ITI,
vill-gadava po-pahasa distt-mau
Uttar Pradesh (PR09900108)

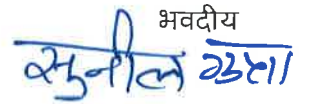
विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चिलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Late Bhola Singh Private ITI,
Post Parasiya jaayramhiri, tehsil-Madhunban, Mau
Uttar Pradesh (PR09901271)

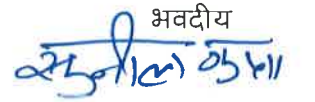
विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Rajendra Singh Private ITI,
PO- Raikwardih, Tehsil- Sadae Mau
Uttar Pradesh (PR09901291)

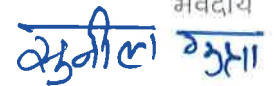
विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


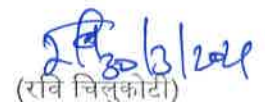
(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चित्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
B.S.R.K Private ITI,
Village Khalisha Validpur, Teh- Muhammadbad,
Dist, Mau, Uttar Pradesh (PR09901302)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

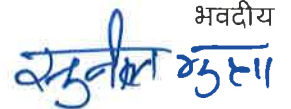
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Vimala Shivkshankar Private ITI,
Merasofipur, Haldhapur, Dist mau.
Uttar Pradesh (PR09901285)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
 RAMYASH Private ITI,
 VILL JAMALPUR POST MUHAMMADABAD GOHNA,
 Dist. Mau, Uttar Pradesh (PR09900682)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

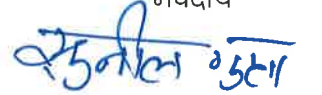
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



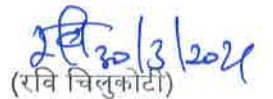
(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
MATA JAMWANTI KULDEEP Private ITI,
Vill. Post - Raikwardih Distt. - Mau
Uttar Pradesh (PR09900354)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Pranjal Private ITI,
Vill. PalChandraha, Post Tadibadagaon
Dist. Balia, Uttar Pradesh (PR09900215)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Kakashyamlal Private ITI,
vill palchandrha taribadagaon, Dist. Balia
Uttar Pradesh (PR09001963)

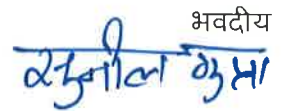
विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रावि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Sri Lal Bahadur Shastri Private ITI,
Gola Bazar, Gorakhpur
Uttar Pradesh (PR09000766)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
BN Private ITI,
Deoria, Pin- 274001
Uttar Pradesh (PR09001875)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

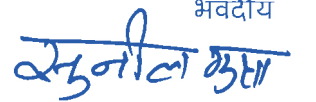
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



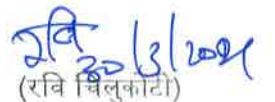
(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि बिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
BN Private ITI,
Vill. Bankata Bazar Po. Koilaswa Dist.- Kushinagar
Uttar Pradesh (PR09001203)

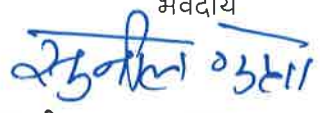
विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चक्रवर्ती)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Saran Private ITI,
160 -C Mangla Vihar- 1st New PAC Line, Kanpur Nagar
Uttar Pradesh (PU09900376)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बन्धता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चित्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
SOVRAN Private ITI,
Vill- Surayanda Post Phoolpur Distt Auraiya
Uttar Pradesh (PR09900867)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

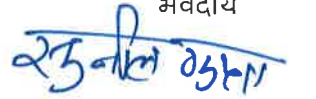
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Kabaj singh Private ITI,
Vill issapur, Pargana- Gangoh, Tehsil- Nakur
Dist. - SAHARANPUR, Uttar Pradesh (PR09901323)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिन्मयी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Gyan Bharti Private ITI,
NH-58, Partapur Bypass Road, Opp Ansal Sushant
Dist., MEERUT, Uttar Pradesh (PU09901301)

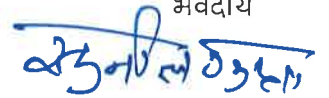
विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चिल्कोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Tara Shankar MSTI Private ITI,
Shiviar, Gosaiganj, mohanlalganj road, Lucknow
Uttar Pradesh (PU09002121)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

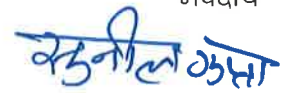
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चन्द्रा)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Anant Private ITI,
Village Jalal Road Farah Mathura
Dist., Mathura, Uttar Pradesh (PR09901303)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

26/3/2021

 (रवि चौधरी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Sobran Singh Private ITI,
Unchangaon Sonkh Road, mathura,
Uttar Pradesh (PR09901286)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

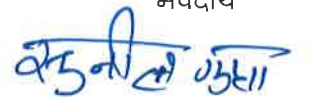
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुहाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
BSP Private ITI,
Kanjuli Ghat, Baldeo, Dist Mathura,
Uttar Pradesh (PR09901254)

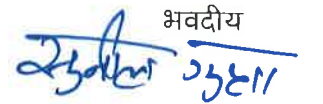
विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय


(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।


(रवि चोपड़ा)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
G.S.M. Private ITI,
G.T. ROAD BEWAR MIANPURI
Dist., Mainpuri, Uttar Pradesh (PR09000940)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चन्द्रा)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Major Ramvir Singh Private ITI,
VILL& POST-BALIPUR SHIKOHABAD FIROZABAD
Uttar Pradesh (PR09000241)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

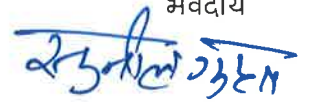
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Shri Vinayak Private ITI,
Noorpur, Shikphabad, Firozabad.
Uttar Pradesh (PR09901282)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

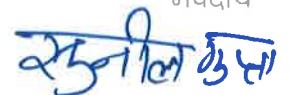
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस बिल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Unnati Private ITI,
Block nidholi kalan Etah, Uttar Pradesh.
Uttar Pradesh (PR09901277)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Doodhnath Private ITI,
Sarkar, Jhansi
Uttar Pradesh (PR09901298)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

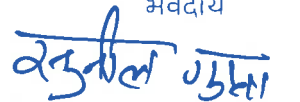
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुओटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Bhullu Memorial Private ITI,
Village Gadaipur, Teh-jakhaniya Dist Ghazipur,
Uttar Pradesh (PR09901311)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

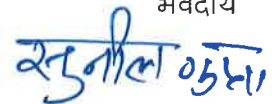
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिल्लुकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Pt. Seetaram Tiwari Private ITI,
Bhadesar, Awadan Urf Bairan, Ghazipur,
Uttar Pradesh (PR09901300)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

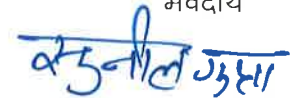
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिलुवाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-0/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Adarsh Private ITI,
Vill-Hetimpur(Jalalpur)Zamania, Ghazipur
Uttar Pradesh (PR09000953)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

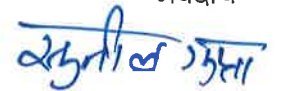
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिन्मयी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
HARI RAM PATEL Private ITI,
PILKHUA MAU AIMA ALLAHABAD - 212507
Uttar Pradesh (PR09900914)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

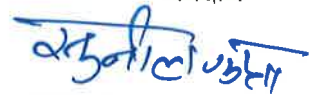
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
V.B.S. Private ITI,
Vill Manpur urf Bagai Kala block Phulpur
Dist., Allahabad, Uttar Pradesh (PR09901289)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

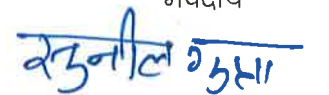
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चक्रवर्ती)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Sainik Private ITI,
MAI DEVKALI, HANUMANGANJ, PHULPUR.
Dist., ALLAHABAD, Uttar Pradesh (PR09901341)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

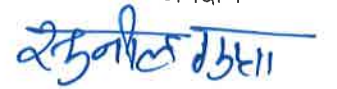
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिन्मयी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
HANUMAT NIKETAN Private ITI,
kadilpur kathgaon, Allahabad
Uttar Pradesh (PU09001809)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

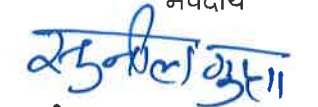
महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



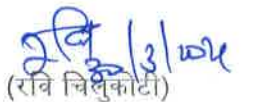
(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि चिह्मकोटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,

आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Rishabh Dev Private ITI,
Vill- Karikan Dhata Tah Khaga Fatehpur,
Uttar Pradesh (PR09901263)

विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 12.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय
23 नील 25/04

(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।

23/3/21
(रवि निमुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

DGT-Daff/3/2021-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,

दिनांक- 30.03.2021

To,

The Principal,
Babu Chandra Pal Singh Private ITI,
Narpatpur, Post damapur Dist Fatehpur,
Uttar Pradesh (PR09901250)**विषय: आईटीआई के ट्रेडों / यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस**

महोदय,

निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्र क्रमांक 2973/ टी-3 / रा० प० / सं० / बैंक गारंटी / 2020 दिनांक 10.03.2021 के द्वारा भेजा गया पत्र इस महानिदेशालय को दिनांक 19.03.2021 प्राप्त हुआ है। जिसमें राज्य निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि - आपके संस्थान को वर्ष 2019 में मान्यता / सम्बंधता प्रदान की गयी थी किन्तु आपके संस्थान द्वारा जमा की गयी बैंक गारंटी का सत्यापन सम्बन्धित बैंको से कराये जाने के उपरांत बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वह संदिग्ध / फर्जी पाई गयी है अतः निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संस्थान की मान्यता को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 14.04.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए।
- शो कॉज नोटिस का जवाब tcsection2019@gmail.com पर भेजे।

भवदीय



(सुनील कुमार गुप्ता)

निदेशक, प्रशिक्षण

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश।
2. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।



(रवि निलुकाटी)

संयुक्त निदेशक, प्रशिक्ष